परिशिष्ट "क"

मि.सं.20-1/2020-से.पू.
केंद्रीय हिंदी निदेशालय
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

पश्चिमी खंड-7, आर.के.पुरम,
नई दिल्ली-110066,
दिनांक 24.02.2021

विषयः-कार्यालय की फोटो कॉपियर मशीनों की मरम्मत एवं रख-रखाव के ठेके के लिए निविदा प्रपत्र तथा नियम व शर्तें।

इस निदेशालय द्वारा कार्यालय की सात फोटो कॉपियर मशीनों की मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु जो इस परिशिष्ट "क" के अनुसार किया जाना है। निविदा आमंत्रण के लिए नियम व शर्तें निम्न प्रकार हैंः-

1. प्रस्तुत टेंडर कम से कम एक वर्ष के लिए वैद्य होगा किंतु अपरिहार्य स्थिति में टेंडर की अवधि बढाई/घटाई जा सकती है।
2. फर्म द्वारा जो दरें प्रस्तुत की जाएंगी बादे में उनमें किसी प्रकार की वृद्धि के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा टेंडर अवधि में स्वीकृत दरों पर ही कार्य करना होगा।
3. निविदा में दशाई गई सभी दरें अनिवार्य रूप से स्पष्ट अंकित करनी होगी ताकि उन्हे आसानी से पढा जा सके। आवर राईटिंग अथवा अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा। निविदा अपनी फर्म के लेटर हेड पर प्रस्तुत करें।
4. फोटा कॉपियर मशीन की कार्टेज तथा अन्य पार्टस के विषय में स्पष्ट विवरण देना अनिवार्य है।
5. इस कार्यालय को जो बिल प्राप्त होंगे उनका ई-भुगतान समान्यतः 45 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा किंतु अपरिहार्य स्थिति में विलंब भी हो सकता है जिसके लिए किसी भी अतिरिक्त राशि का भुगतान देय नहीं होगा।
6. फर्म को ठेके का आदेश प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर कार्य करने की अपनी अनुमति इस कार्यालय को लिखित में देनी होगी।
7. टेंडर देने से पूर्व सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें तथा संस्था की मुहर लगायें।
8. GST/PAN/TAN आदि आवश्यक प्रमाण-पत्रों की प्रति संलग्न करें।
9. सामन्यतः न्यूनतम दरों की निविदा को स्वीकार किया जाएगा किंतु किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्ति निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी में निहित होंगी।
10. अपूर्ण एवं सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
11. प्राप्त निविदा दिनांक 18.03.2021 को प्रातः 11:00 बजे टेंडर समिति के समक्ष खोली जाएंगी।
12. निदेशक, केंद्रीय हिंदी निदेशालय को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी ठेके को बिना किसी पूर्व सूचना के आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से रद्द कर सकते हैं।

संपर्कः-
श्री संजय श्रीवास्तव, सहायक (दूरभाषः-26178454 Extn. 220)
श्री प्रीतम सिंह, रखवाल
श्री द्वारका दास, प्र.श्रे.लि.

रीता देव

(रीता देव)
प्रशासनिक अधिकारी